

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :-10/2013

तारीख दायरा 14.12.2013



राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुरप्रार्थी
बनाम
रतन सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति राय सिख निवासी 13 एच..... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपरिस्थित:-

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक

22/1/14

1. उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि उपखण्ड एवं आवंटन अधिकारी श्री करणपुर द्वारा दिनांक 31.07.1984 को रकबा चक 13 एच के खसरा नम्बर 90 के 12 बीघा व खसरा नम्बर व खसरा नम्बर 91 के 86 बीघा भूमि गैर मुमकिन पायतन में से मु0 नं0 22 के किला नम्बर 11 से 20 तादादी 10.00 बीघा भूमि को अप्रार्थी को आवंटन किया गया। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित थी। आवंटन खारिज योग्य है।

2. रैफरेंस पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर जवाब पेश किया कि आवंटन आदेश 31.07.84 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। आवंटन आदेश के पश्चात पत्रावली विधि शाखा में जांच हेतु प्रेषित की जाती है। लगभग 30 वर्ष बाद रैफरेंस किया गया है जो मियाद बाहर है। उप खण्ड अधिकारी द्वारा आदेश में यह अंकित किया है कि जिला कलक्टर से एन.ओ.सी. प्राप्त की हुई है। आवंटन से पहले स्वीकृति प्रदान की हुई है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1956राज0उप0(गंग नहर भूमि आवंटन तथा विक्रय नियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.07.60 के अनुसार जोहड़ की भूमि को वर्णित कीमत की दुगुनी दर पर आवंटन किया जा सकता है। समस्त रकबा 27 आवेदन पत्रों के आधार पर 27 व्यक्तियों को अलाट किया गया अतः आवंटन किसी भी प्रकार से निरस्त योग्य नहीं है।

3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि आराजी जेर बहस जरिये आवंटन आदेश दिनांक 31.07.1984 अप्रार्थी को आवंटित की गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी। जिसे आवंटन नहीं किया जा सकता था। अतः रैफरेंस स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

4. इसके विरोध में लायक वकील अप्रार्थी का कथन है कि आवंटन आदेश 31.07.84 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। आवंटन आदेश के पश्चात पत्रावली विधि शाखा में जांच हेतु प्रेषित की जाती है। लगभग 30 वर्ष बाद रैफरेंस किया गया है जो मियाद बाहर है। उप खण्ड अधिकारी द्वारा आदेश में यह अंकित किया है कि जिला कलक्टर से एन.ओ.सी. प्राप्त की हुई है। आवंटन से पहले स्वीकृति प्रदान की हुई है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1956राज0उप0(गंग नहर भूमि आवंटन तथा विक्रय नियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.07.60 के अनुसार जोहड़ की भूमि को वर्णित कीमत की दुगुनी दर पर आवंटन किया जा सकता है। समस्त रकबा 27 आवेदन पत्रों के आधार पर 27 व्यक्तियों को अलाट किया गया अतः आवंटन किसी भी प्रकार से निरस्त योग्य नहीं है।

अतः रैफरेंस खारिज किया जावे।

5. पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। बहस में उठाये गये तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखा। आवंटन अधिकारी श्री करणपुर

द्वारा आदेश दिनांक 31.7.84 द्वारा बचन सिंह को जोहड़ पायतन की भूमि आवंटित की गई है।

6. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

"उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ हैं, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैधता के सम्बन्ध में जांच कर सकते हैं" सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दृष्टांत आरआरडी 2016 पेज 33, आर.आर.डी. 2012 पेज 137 तथा डीएनजे 2005 पेज 162 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है उक्त दृष्टांतों में अकारण देरी व असाधारण विलम्ब से पेश किये गये रैफरेंस सारहीन हैं उक्त दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया मेरे विनम्र मत में इस मामले के व प्रस्तुत दृष्टांतों के तथ्य भिन्न हैं। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जोहड़ की भूमि को आवंटन अथवा खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। दृष्टांतों में पक्षकारों के मध्य पारस्परिक विवाद है लेकिन इस मामले में राज्य हित व जन हित निहित है अतः उक्त दृष्टांत इस मामले पर चर्चा नहीं होते।

7. जहां तक जोहड़ की भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन किये जाने का संबंध है। इस संबंध में डी.बी. सिविल जन हित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.08.04 में इस तरह के प्रकरणों में किस्म परिवर्तन को अवैध माना गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(3) के अनुसार गैर मुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, ताल, पोखर, जलाशयों, गोचर आदि की भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं, पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते। उक्त रिट याचिका की पालना में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत सुझावों के मध्य नजर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में उल्लिखित किया है कि :-

"All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc.as on 15-08-19 all should be declared as Government land Any conversions made after 15-8-47 should be declared illegal The relevant act and rules must be amended accordingly In the Government owned lakes and other water bodies,the khatadari rights of private persons in their submergence area be brought under the ownership of the Government."


माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार जल स्रोतों की वर्ष 1947 की स्थिति को बहाल किया जाना है।

8. उक्त भूमि की किस्म मुताबिक आदेश उपखण्ड अधिकारी जोहड़ पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। धारा 16 में उपबंधित किया गया है कि Land reserved for flow of water can not be allotted on the basis of long possession ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपटित धारा 9 में रेफरेंस किए जाने योग्य है।

8. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व (प्रार्थी) तहसीलदार श्री करणपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि जो अप्रार्थी को आवंटित की गई को निरस्त करवाने हेतु व पुनः मकबूजा जोहड़ दर्ज करवाने हेतु रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत करें।

9. निर्णय की 2 प्रतियां मूल आवंटन पत्रावली सहित तहसीलदार श्री करणपुर को प्रेषित की जावे कि राजकीय अधिवक्ता माननीय राजस्व मण्डल के माध्यम से रैफरेंस पेश करें।। इस न्यायालय से पत्रावली नम्बर से कम की जाये।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
आर.ए.एस.